

**कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय-एफ0आर0आई0, देहरादून।

विषय:- जनपद-जनपद- चमोली में बूगीधार मेहलचौरी बछवाणा मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण। FP/UK/ROAD/10762/2015.

महोदय,

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के उपर्युक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 795/12-1 दिनांक 31-08-2016 द्वारा बिन्दुवार सूचना उपलब्ध करायी गयी है, जिसे प्रकरण पर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु निम्नानुसार प्रेषित किया जा रहा है :-


S. no	Shortcomings	Clarification/reply
1	In reply to point no. 1 of eds dated 24-05-2016 and pt no. 7 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density has been revised ot 0.3 now in online part -II and accordingly. NPV has been recalculated but, the density is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.	एन0पी0वी0 के घनत्व को पार्ट 2 में संशोधित किया गया है जो इस कार्यालय के पत्रांक 532/12-1 दिनांक 09-08-2016 के द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
2	In reply to point no_1 of EDS dated 24-05-2016 & Point no-8 of EDS dated 18-05-2016 the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable Further the DFO has mentioned tha the same has been corrected but, the working plan prescriptions are still not given inpara-5 of online part-Ii in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	पार्ट 2 में संशोधित किया गया है।
3	In reply to point No-1 of EDS dated 24-05-2016 & point No. 9 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that an estimate of Rs 35.00 lakhs has been prepared to stop soil erosion but, the details of the mitigative measures to be implemented has not been submitted.attached with the reply.	भू.संरक्षण रोथाम के लिए रू0 35.00 के आगणन किया गया है। संलग्न
4	In reply to point no. 1 of EDs dated 24-05-2016 & Point No-10 of EDS dated 18-05-2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil and Panchayat land and the affect of Leopard etc. is negligible in the area Construction of road will have any special impact. But it seen from para-2 of onlne part-II that 2.38 ha of Reserve Forest land is also involved in the proosal whcih is contradictory to the reply given above.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से वन्य जीवों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।

8

5	Raised by regional office but the information is still not uploaded/corrected in corresponding section of Form A part-i and in part-ii.	पार्ट 2 तथा पार्ट 2 संलग्न कर प्रेषित है। Part-II के Additional information details में अपलोड है।
---	---	--

संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,



(एस0टी0एस0 लेप्चा)

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

कार्यालय उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:- 795 /12-1 गोपेश्वर, दिनांक 31 अगस्त, 2016

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी,
देहरादून।

द्वारा:- निदेशक/ वन संरक्षक, नन्दादेवी वायोस्फियर रिजर्व गोपेश्वर।

विषय:- प्रस्तावित बूगीधार मेहलचौरी बछवावाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के कम चाही गई सूचना निम्नानुसार संलग्नक सहित प्रेषित की जा रही है:-

क्र.सं.	प्रश्न	उत्तर
1	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-7 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the density has been revised to 0.3 now in online Part-II and accordingly, NPV has been recalculated but, the density is mentioned as 0.2 instead of 0.3 in the NPV calculation sheet attached with the reply.	एन0पी0वी0 के घनत्व को पार्ट II में संशोधित किया गया है जो इस कार्यालय के पत्रांक 532/12-1 दिनांक 09-08-2016 द्वारा संलग्न कर प्रेषित किया गया है।
2	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-8 of EDS dated 18.05.2016, the reply of PCCF & Nodal Officer is not understandable. Further, the DFO has mentioned that the same has been corrected but, the working plan prescriptions are still not given in para-5 of online Part-II in respect of 2.38 ha of RF land proposed for diversion.	पार्ट II में संशोधित किया गया है
3	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-9 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that an estimate of Rs. 35.00 lacs has been prepared to stop soil erosion but, the details of the mitigative measures to be implemented has not been submitted/ attached with the reply.	भू- क्षरण रोकथाम के लिए रू0 35.00 के आगणन किया गया है। संलग्न
4	In reply to point No.- 1 of EDS dated 24.05.2016 & point No.-10 of EDS dated 18.05.2016, it is mentioned that the land required for the road is Civil and Panchayati Land and the affect of Leopard etc. is negligible in the area. Construction of road will have any special impact. But, it is seen from para-2 of online Part-II that 2.38 ha of Reserve Forest Land is also involved in the proposal which is contradictory to the reply given above.	प्रस्तावित मोटर मार्ग निर्माण से वन्य जीवों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा।
5	raised by regional office but the information is still not uploaded/corrected in corresponding section of Form A part-i and in part-ii	पार्ट I तथा पार्ट II संलग्न कर प्रेषित है। part II के Additional information Details में अपलोड है।

अतः अनुरोध है कि विषयवर्तित प्रकरण में अग्रेत्तर कार्यवाही करने की कृपा करें।


भवदीया,

31/8
(नीतू लक्ष्मी एम0)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली के विकास खण्ड गोरखेण में बूगीधार— बछवावाण मेंहलचौरी के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के आदेश संख्या 5-3/2007—एफ०सी० दिनांक 05-02-2009 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार आवेदित वन भूमि हेतु एन०पी०वी० की देयता निम्नानुसार है:—

- 1— इको क्लास की श्रेणी..... V
- 2— हरियाली का धनत्व..... 0.2
- 3—एन०पी०वी० की दर6.57,000.00
- 4—आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल.....2.73 है०
- 5—कुल देय एन०पी०वी०.....रु० 17,93,000.00



(नीतू लक्ष्मी एम०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

प्राक्कलन बावत— प्रस्तावि बूंगीधार मेहलचौरी— बछवावाण मोटर मार्ग के किमी0 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग के विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैक डैम निर्माण कार्य वर्ष 2016-17

लोहवा वन क्षेत्र गैरसैण केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर।

क्र०स०	कार्य का विवरण	सं०	नपत (मीटर में)			सं०	दर	धनराशि
			ल०	चौ०	ऊ०			
1	विभिन्न नालों में भूमि संरक्षण हेतु चैक डैम निर्माण कार्य	370	3.00	1.5	1.5	3	9500.00	3515000.00

किन्तु देय धनराशि रू० 35,00,000.00


नीतू लक्ष्मी एम०)
उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर।

जियो रेफरेंस मैप – जनपद चमोली में पी०एम०जी०एस०वाई० के अन्तर्गत बी०एम०बी० मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्तावित क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल (क्षे०- 5.46 है०)

0 35 70 140 210 280 M



Scale - 1:3,500

79°18'10"E

79°18'20"E

30°0'40"N

30°0'40"N

30°0'30"N

30°0'30"N

30°0'20"N

30°0'20"N

Legend

- GPS Points
- Proposed CA Land

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	79° 18' 16.667" E	30° 0' 39.510" N
2	79° 18' 18.449" E	30° 0' 42.464" N
3	79° 18' 18.151" E	30° 0' 43.524" N
4	79° 18' 16.836" E	30° 0' 42.634" N
5	79° 18' 12.857" E	30° 0' 43.631" N
6	79° 18' 15.047" E	30° 0' 40.443" N
7	79° 18' 14.345" E	30° 0' 38.273" N
8	79° 18' 16.260" E	30° 0' 32.218" N
9	79° 18' 15.553" E	30° 0' 27.257" N
10	79° 18' 19.831" E	30° 0' 26.751" N
11	79° 18' 21.404" E	30° 0' 31.411" N
12	79° 18' 21.622" E	30° 0' 35.754" N
13	79° 18' 18.863" E	30° 0' 35.907" N
14	79° 18' 18.252" E	30° 0' 36.812" N
15	79° 18' 17.493" E	30° 0' 33.965" N

79°18'10"E

79°18'20"E

[Signature]

RMD WAGEN

[Signature]
Executive Engineer
Rural Works Department

उप वन संरक्षक

भाग-1

परियोजना विवरण :- जनपद चमोली के विकासखण्ड गैरसैण में बुगीधार मेहलचौरी से बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.730 हे० सिविल / वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव। लम्बाई 4.00 किमी०।

क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव / परियोजना / स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	गैरसैण में बुगीधार मेहलचौरी से बछुवाबाण मोटर मार्ग के किमी० 25 से स्यूणी तल्ली तक मोटर मार्ग का निर्माण।
ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
ग) परियोजना की लागत।	रु० 280.00 लाख
घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	निर्माण हेतु अन्य कोई बिकल्प उपलब्ध नहीं है।
ङ.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	परियोजना का क्षेत्रफल 5 हे० से कम है अतः लागू नहीं है।
च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	कृषि, पर्यटन, व्यापार इत्यादि।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण:	मार्ग निर्माण हेतु।
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई है	
क) परिवारों की संख्या	शून्य।
ख) अनुसूचित जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	शून्य।
ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	शून्य।
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नहीं)	हां।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता (वचनबद्धता संलग्न की जाये)	संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावेजों का व्यौरा।	संलग्न है।

दिनांक 30.08.16

स्थान *कर्वप्रयाग*

कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग

Ad
सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग

Yans
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०
खण्ड कर्णप्रयाग